8

8.1 ग्रामीण सहकारी बैंकिंग
8.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
8.3 सुदृढ़ और आधुनिक ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की ओर
अध्याय 8 के परिशिष्ट

ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का सशक्तीकरण

ग्रामीण वित्तीय संस्थाएँ, जिनमें ग्रामीण सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्तीय मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.[1] ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुँच में सुधार लाने और इन संस्थाओं को संगठनात्मक रूप से मजबूत, और वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के साथ-साथ उनके परिचालनों में कुशलता लाने के लिए नाबार्ड विभिन्न विकासात्मक और पर्यवेक्षी पहलों के माध्यम से इन संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करता है ताकि वे अन्य वित्तीय संस्थाओं के समक्ष प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धी बनें और जमीनी स्तर पर कुशलतापूर्वक ऋण वितरण कर सकें. इसलिए, नाबार्ड ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की व्यावसायिक वृद्धि, लाभप्रदता, पूंजी पर्याप्तता और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के स्तर पर बारीकी से नजर रखता है और पुन:पूंजीकरण, व्यवसाय विविधीकरण, उत्पाद नवोन्मेष, डिजिटलीकरण आदि के माध्यम से उन्हें मजबूत करता है.

8.1 ग्रामीण सहकारी बैंकिंग

ग्रामीण सहकारी बैंक समानता, स्वतंत्र और स्वैच्छिक रूप से संघ बनाने के अधिकार, लोकतंत्र, आपसी सहयोग, आत्मनिर्भरता और गैर-शोषक परिचालन के मूल्यों पर स्थापित किए गए हैं. ग्रामीण आबादी की बढ़ती ऋण आवश्यकताओं और जमीनी स्तर पर सहकारी संस्थाओं की पहुँच को देखते हुए वे वर्तमान समय में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई हैं.

8.1.1 अल्पावधि सहकारी संस्थाएँ

सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में, अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) में तीन प्रकार की वित्तीय संस्थाएँ शामिल हैं - शीर्ष पर राज्य सहकारी बैंक, इसके बाद जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, और ग्राम-स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स) हैं. ऐतिहासिक रूप से, एसटीसीसीएस की भूमिका पैक्स के माध्यम से किसानों को केवल अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करने की थी, अब इसके दायरे को बढ़ाकर इसमें गैर-कृषि क्षेत्र, संबद्ध क्षेत्रों को मीयादी ऋण वितरण, सूक्ष्म ऋण आदि को शामिल किया गया है.

राज्य सहकारी बैंकों का कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति के संकेतक

रास बैंकों की स्वाधिकृत निधि, जिसमें शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधि शामिल हैं, में वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 11.5% की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2022 तक वह ₹27,234 करोड़ हो गई. जमाराशियाँ जो कुल देनदारियों का 57.8% हैं, वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान उनमें 8% की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2022 तक कुल जमाराशियों की राशि ₹2.4 लाख करोड़ हो गई. रास बैंकों के कुल ऋण पोर्टफोलियो में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 31 मार्च 2021 के 44% से बढ़कर 31 मार्च 2022 को 46% हो गई. रास बैंकों के कार्य-निष्पादन का सार चित्र 8.1 में और विवरण परिशिष्ट की तालिका अ8.1-अ8.4 में दिया गया है.

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जिमस बैंक) के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्वास्थ्य संकेतक

जिमस बैंक संबद्ध समितियों/ पैक्स को ऋण प्रदान करते हैं जो अंतिम उधारकर्ताओं को सीधे ऋण वितरित करती हैं. जिमस बैंकों की स्वाधिकृत

चित्र 8.1: 31 मार्च 2022 तक राज्य सहकारी बैंकों का समेकित कार्य-निष्पादन

वित्तीय स्वास्थ्य के संकेतक	आकार	% परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)
तुलन-पत्र (आकार)	₹4.2 लाख करोड़	**10.6**
निवल लाभ	₹2,288 करोड़	**63.2**
उधार	₹1.2 लाख करोड़	**15.5**
सकल ऋण	₹2.4 लाख करोड़	**12.8**
सीआरएआर	**मामूली कमी** 13.1% (विव2021) →13% (विव2022)	
सकल अनर्जक आस्तियाँ	**कमी** 6.7% (विव2021) →6% (विव2022)	
प्रावधानन कवरेज अनुपात	**वृद्धि** 57.4% (विव2021) →65.1% (विव2022)	
आस्तियों पर प्रतिफल	**वृद्धि** 0.4% (विव2021) →0.6% (विव2022)	
निवल ब्याज मार्जिन	2.1% (विव2022); विव2021 की तुलना में **40 बीपीएस वृद्धि**	

नोट: बीपीएस = आधार अंक, सीआरएआर = जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक, विव = वित्तीय वर्ष.

चित्र 8.2: 31 मार्च 2022 तक जिमस बैंकों का समेकित कार्य-निष्पादन

वित्तीय स्वास्थ्य के संकेतक	आकार	% परिवर्तन (वर्ष-दर-वर्ष)
तुलन-पत्र (आकार)	₹6.5 लाख करोड़	**10.3**
निवल लाभ	₹1,358 करोड़	**-4.5**
उधार	₹1.3 लाख करोड़	**18.9**
सकल ऋण	₹3.4 लाख करोड़	**10.3**
सीआरएआर	**मामूली वृद्धि** 12.1% (विव2021) →12.2% (विव2022)	
सकल अनर्जक आस्तियाँ	**लगातार कमी** 11.4% (विव2021) →10.8% (विव2022)	
प्रावधानन कवरेज अनुपात	**वृद्धि** 65.4% (विव2021) →70.7% (विव2022)	
निवल ब्याज मार्जिन	2.4% (विव2022); विव2021 की तुलना में **12 बीपीएस की वृद्धि**	

नोट: बीपीएस = आधार अंक, सीआरएआर = जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, विव = वित्तीय वर्ष.

निधि, जिसमें शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधि शामिल हैं, में वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 8.9% की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2022 तक वह ₹50,946 करोड़ हो गई. वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, जमाराशियाँ, जो कुल देनदारियों का 63.5% हैं, में 8.1% की वृद्धि हुई और 31 मार्च 2022 तक कुल जमाराशियाँ ₹4.1 लाख करोड़ हो गईं. जिमस बैंकों के कुल ऋण पोर्टफोलियो में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 31 मार्च 2021 के 53.4% से बढ़कर 31 मार्च 2022 तक 55.5% हो गई. जिमस बैंकों के कुल ऋण पोर्टफोलियो का लगभग 77.3% भाग और कृषि ऋण पोर्टफोलियो का 96.7% भाग ऋण समितियों के लिए है. जिमस बैंकों के कार्य-निष्पादन का सार चित्र 8.2 में दिया गया है, और विवरण परिशिष्ट की तालिका अ8.5-अ8.9 में दिया गया है.

8.1.2 दीर्घावधि सहकारी संस्थाएँ

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास (रासकृग्रावि) बैंक और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (प्रासकृग्रावि बैंक) शामिल हैं (कुछ राज्यों में जिला/ तालुका स्तर पर). एलटीसीसीएस के तहत 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रासकृग्रावि बैंक कार्यरत हैं. चूँकि कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों को जनता से जमाराशि जुटाने और माँग पर उसकी चुकौती करने की अनुमति नहीं है, इसलिए वे अपने व्यवसाय परिचालनों के लिए उधार ली गई धनराशि पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं.

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान रासकृग्रावि बैंकों की जमाराशि में 10.9% की कमी आई. तथापि, स्वाधिकृत निधियों और देयता पक्ष के तहत उधार में वृद्धि के कारण आस्ति पक्ष के तहत बकाया ऋण में 1.5% की मामूली वृद्धि देखी गई. वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, रासकृग्रावि बैंकों ने समग्र रूप से ₹78 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया, जो वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान अर्जित ₹164 करोड़ से कम है.

ऋण परिचालन के लिए उधार और स्वाधिकृतयों निधि पर प्रासकृग्रावि बैंकों की निर्भरता रासकृग्रावि बैंकों से कहीं अधिक है. 31 मार्च 2022 तक प्रासकृग्रावि बैंकों का कुल कारोबार ₹17,937 करोड़ था और वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान इसमें 1.4% की मामूली वृद्धि देखी गई. दीर्घावधि सहकारी संस्थाओं का विस्तृत कार्य-निष्पादन परिशिष्ट की तालिका अ8.10 में दिया गया है.

8.1.3 ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण घटनाक्रम

सहकार से समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 में सहकारी संस्थाओं को समर्पित एक अलग मंत्रालय के गठन के साथ, भारत सरकार ने देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए विभिन्न हितधारकों के सहयोग से कई पहलें की हैं. ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के संदर्भ में कुछ प्रमुख पहल यहाँ प्रस्तुत की गई हैं.

पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की योजना

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 29 जून 2022 को पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की एक योजना को मंजूरी दी जिससे मानक व्यावसायिक प्रक्रिया और प्रथाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा, परिचालन

बॉक्स 8.1: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण

यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि में लगभग 63,000 कार्यशील पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का लक्ष्य है. इसका कुल बजट परिव्यय ₹2,516 करोड़ है, जिसमें भारत सरकार द्वारा ₹1,528 करोड़, राज्य सरकारों द्वारा ₹736 करोड़ और नाबार्ड द्वारा ₹252 करोड़ का योगदान किया जाएगा. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नाबार्ड को इस परियोजना की राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है,

इस परियोजना के तहत, साइबर सुरक्षा सुविधाओं और क्लाउड-आधारित डेटा स्टोरेज के साथ एक साझा 'राष्ट्र स्तरीय पैक्स सॉफ्टवेयर (एनएलपीएस) विकसित किया जा रहा है. इस परियोजना में पैक्स को हार्डवेयर सहायता, मौजूदा रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण तथा रखरखाव हेतु सहायता और प्रशिक्षण भी शामिल है. राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनएलपीएस स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा.

एनएलपीएस के परिचालन के साथ, पैक्स को राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल के साथ-साथ संबंधित जिमस बैंक या रास बैंक (द्विस्तरीय सहकारी संरचना के मामले में) के साथ एकीकृत किया जा सकेगा जिसका लाभ उनके सदस्यों को होगा. एनएलपीएस को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, राष्ट्रीय कृषि बाजार, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, जन समर्थ जैसे राष्ट्रीय पोर्टलों के साथ एकीकृत करने से पैक्स सदस्यों को बहुत लाभ होगा क्योंकि इससे ऋण वितरण में तेज़ी आएगी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण होगा, 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) अपडेट जल्द प्राप्त होंगे, 'एनीव्हेअर' बैंकिंग संभव होगी, पैक्स सदस्यों को ई-कॉमर्स सेवाएँ उपलब्ध होंगी और सरकारी सब्सिडी योजनाओं तक उनकी सीधी पहुँच होगी.

नोट्स:

1. जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक.
2. एनएलपीएस एक उद्यम संसाधन आयोजना समाधान है जो ऋण और जमाओं से संबंधित परिचालन, समान लेखांकन प्रणाली, प्रबंधन सूचना प्रणाली, लेखापरीक्षा, बिक्री, इन्वेंट्री, खरीद, परिचालन, चुनाव, सदस्यता, अधिप्राप्ति, भूमि अभिलेख सहित पैक्स की सभी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा.

दक्षता बढ़ेगी, ऋणों की मंजूरी में लगने वाले समय में कमी आएगी, पैक्स विविध प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगी, उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी, वे समय पर निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगी और उनके व्यवसाय में वृद्धि होगी जिससे उन्हें लाभदायक और संधारणीय बनाया जा सकेगा. (बॉक्स 8.1).

सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति हेतु समिति

सहकारिता पर नई राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए दिनांक 2 सितंबर 2022 को सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में एक राष्ट्र स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं. यह नीति 'सहकार से समृद्धि' के विज़न को साकार करने, देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारिता-आधारित आर्थिक विकास के मॉडल के संवर्धन के लिए रूपरेखा उपलब्ध कराएगी.

पैक्स के लिए मॉडल उपनियम

भारत सरकार द्वारा पैक्स के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए गए हैं और उन्हें राज्यों में परिचालित किया गया है ताकि सभी राज्य अपने 'राज्य सहकारी अधिनियम' के अनुसार उन्हें अपनाएँ, जिससे पैक्स को जीवंत, बहुउद्देशीय व्यावसायिक संस्था बनाया जा सके और वे 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू कर सकें, जैसे- डेयरी, मत्स्यपालन, गोदामों की स्थापना, रसोई गैस/ पेट्रोल/ हरित ऊर्जा वितरण एजेंसी, बैंकिंग करेसपॉन्डेंट, साझा सेवा केंद्र (सीएससी), आदि. इन ड्राफ्ट मॉडल उपनियमों में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे पैक्स के परिचालनों में व्यावसायिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सकती है. वित्तीय पुनरुत्थान सुनिश्चित करने के लिए कई पैक्स ने इन उप-नियमों को अपनाया है.

साझा सेवा केंद्र के रूप में पैक्स

पैक्स को साझा सेवा केंद्र में बदलने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके तहत पैक्स ग्राम स्तर पर ई-सेवाएँ तो प्रदान कर ही सकेंगी, साथ ही, उनकी लाभप्रदता भी बढ़ेगी और रोज़गार का सृजन भी होगा.

राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस

सहकारिता मंत्रालय द्वारा देश में सहकारी संस्थाओं की एक प्रामाणिक और अद्यतन रिपॉज़ीटरी तैयार की जा रही है जो विभिन्न क्षेत्रों की सहकारी समितियों पर जानकारी का एकल-बिंदु स्रोत होगी. यह डेटाबेस सहकारी क्षेत्र के लिए उचित नीतियों की आयोजना, तैयारी और कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करेगा.

देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की केंद्रीय योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक केंद्रीय योजना मंजूर की है जिसका उद्देश्य है- (i) जिस पंचायत में पैक्स नहीं है ऐसी पंचायतों में व्यवहार्य पैक्स के गठन की व्यवस्था करना, (ii) जिन पंचायतों/ गाँवों में डेयरी सहकारी समिति नहीं है ऐसी सभी पंचायतों/ गाँवों में डेयरी सहकारी समिति के गठन की व्यवस्था करना, और (iii) तटीय या बड़े जल निकायों वाली पंचायतों/ गाँवों में मत्स्यपालन सहकारी समिति के गठन की व्यवस्था करना.

इस योजना में 'समग्र-सरकार' दृष्टिकोण का लाभ उठाकर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तालमेल के माध्यम से मौजूदा पैक्स/ डेयरी/ मत्स्यपालन सहकारी समितियों को मजबूत करना भी शामिल है.

कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में सुधार, पुनर्गठन और नवोन्मेष पर अध्ययन

सहकारिता मंत्रालय ने नाबार्ड से कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में सुधार, पुनर्गठन और नवोन्मेष पर एक अध्ययन करने का अनुरोध किया. नाबार्ड ने अध्ययन करने के लिए नैबकॉन्स को नियुक्त किया और वह नैबकॉन्स द्वारा गठित समिति के सदस्यों को डेटा/ सूचना सहायता प्रदान कर रहा है.

जम्मू और कश्मीर में जिला मध्यवर्ती सहकारी (जिमस) बैंकों को पुन:पूंजीकरण सहायता

भारत सरकार द्वारा 2014 में '23 बिना लाइसेंस वाले जिमस बैंकों के पुनरुद्धार की योजना' शुरू की गई थी. इस योजना के तहत, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर द्वारा अपने तीन जिमस बैंकों को पुन:पूंजीकरण सहायता का पूरा हिस्सा जारी किए जाने के परिणामस्वरूप, 30 मार्च 2022 को नाबार्ड द्वारा पुन:पूंजीकरण सहायता में भारत सरकार के हिस्से की समस्त राशि जारी की गई (तालिका 8.1).

तालिका 8.1: वित्तीय वर्ष 2022 में जम्मू और कश्मीर में जिमस बैंक को पुन:पूंजीकरण सहायता (₹ करोड़)

संस्था	*मार्च 2022 में जारी किया गया राज्य का हिस्सा (किश्तों में)*	*नाबार्ड द्वारा 30 मार्च 2022 को जारी किया गया केंद्र सरकार का हिस्सा*
अनंतनाग जिमस बैंक	88.1	32.2
बारामूला जिमस बैंक	56.4	10.1
जम्मू जिमस बैंक	111.3	68.9
कुल	**255.7**	**111.2**

नोट:

1. जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
2. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल राशि से भिन्न हो सकता है.

व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा में वृद्धि और वाणिज्यिक रियल एस्टेट के वित्तपोषण की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 8 जून 2022 की एक अधिसूचना में, रास बैंकों और जिमस बैंकों द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत आवास ऋण सीमाएँ बढ़ा दीं. इसके अलावा, उसने उन्हें आवासन हेतु कुल आस्तियों के 5% की मौजूदा समग्र वित्तपोषण सीमा के भीतर वाणिज्यिक रियल एस्टेट/ आवास को वित्तपोषित करने की अनुमति दी (तालिका 8.2).

तालिका 8.2: रास बैंक और जिमस बैंक द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत आवास ऋण की संशोधित सीमाएँ

बैंक श्रेणी	*ऋण सीमा - प्रति एकल उधारकर्ता - ₹ लाख*	
	प्रारंभिक	*संशोधित*
₹100 करोड़ से कम आकलित निवल मालियत वाले रास बैंक/ जिमस बैंक	20	50
₹100 करोड़ के बराबर या उससे अधिक आकलित निवल मालियत वाले रास बैंक/ जिमस बैंक	30	75

नोट: जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए शेयर पूँजी और प्रतिभूतियाँ जारी करना और विनियमन करना

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 दिनांक 1 अप्रैल 2021 से राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर लागू किया गया था. इन संशोधनों के आलोक में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूंजीगत निधियों के निर्गमन और विनियमन पर ग्रामीण सहकारी बैंकों हेतु पूर्व में प्रभावी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और दिनांक 19 अप्रैल 2022 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए. संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित लिखतें जारी करने की अनुमति दी गई है:

अधिमान शेयर

क. टियर I पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर,
ख. टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र स्थायी संचयी अधिमान शेयर,
ग. टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर, और
घ. टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर.

ऋण लिखत

क. टियर I पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र स्थायी ऋण लिखत, और
ख. टियर II पूंजी में शामिल किए जाने के लिए पात्र दीर्घावधि गौण बॉण्ड.

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन शर्तों को निर्दिष्ट किया है जिन्हें पात्र व्यक्तियों को शेयर पूंजी वापस करने के लिए ग्रामीण सहकारी बैंकों को पूरा करना होगा.

सहकारिता विकास निधि (सीडीएफ़)

सहकारिता विकास निधि वित्तीय वर्ष 1993 में नाबार्ड के लाभ से ₹10 करोड़ के मूलनिधि के साथ स्थापित की गई थी (चित्र 8.3).

चित्र 8.3: 31 मार्च 2023 तक सीडीएफ़ का निष्पादन

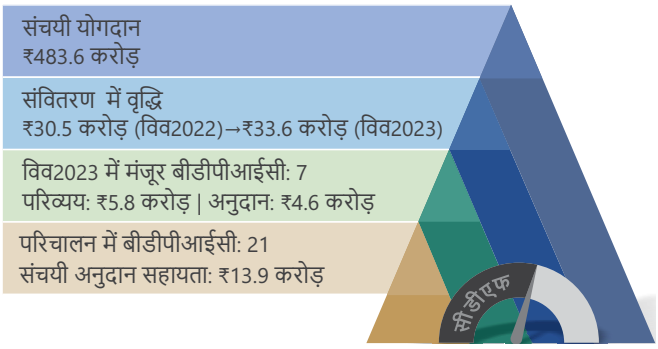

नोट: बीडीपीआईसी = व्यवसाय विविधीकरण एवं उत्पाद नवोन्मेष कक्ष, सीडीएफ = सहकारिता विकास निधि

वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान सीडीएफ़ के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए निधि के उपयोग का विवरण तालिका 8.3 में दिया गया है.

तालिका 8.3: वित्तीय वर्ष 2023 में सहकारिता विकास निधि से प्रयोजन-वार संवितरण

प्रयोजन	*लाभार्थी एजेंसी*	*संवितरण (₹ लाख में)*
सहकारी बैंकों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता की योजना	सीटीआई	1,561.6
आधारभूत संरचना सहायता	पैक्स	273.3
पैक्स विकास कक्ष	जिमस बैंक/ रास बैंक	6.7
बर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण	बर्ड (लखनऊ, मंगलूरु, कोलकाता)	395.1
एक्सपोजर दौरे	रास बैंक/ जिमस बैंक/ पैक्स	94.9
सम्मेलन/ संगोष्ठी/ कार्यशाला	नाबार्ड/ रास बैंक/ जिमस बैंक	22.2
संगठन विकास पहल	जिमस बैंक	7.4
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए व्यापक सहायता योजना	रास बैंक	197.2

प्रयोजन	*लाभार्थी एजेंसी*	*संवितरण (₹ लाख में)*
पैक्स कम्प्यूटरीकरण	रास बैंक/ जिमस बैंक	3.2
व्यवसाय विविधीकरण एवं उत्पाद नवोन्मेष कक्ष	रास बैंक	115.0
अन्य	सी-पेक, बहुसेवा केन्द्रों के रूप में पैक्स, आदि	532.2
अन्य उपाय	बर्ड	154.6
	कुल	**3,363.3**

नोट: बर्ड = बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान, सी-पेक = सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता केंद्र, सीटीआई = सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, रास बैंक = राज्य सहकारी बैंक.

8.2 क्षेत्रीय ग्रामीण (क्षेग्रा) बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विशिष्ट श्रेणी की ग्रामीण वित्तीय संस्थाएँ हैं जिनकी स्थापना वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई थी. 31 मार्च 2022 तक, 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा प्रायोजित 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिचालन में हैं, जिनकी 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख) में 21,892 शाखाएँ हैं. इनके परिचालनों में 29.7 करोड़ जमा खाते और 2.7 करोड़ ऋण खाते शामिल हैं. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाओं में से 92% शाखाएँ ग्रामीण/ अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं.

वित्तीय वर्ष 2023 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था जिसके दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ₹10,890 करोड़ का निवेश किया गया, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 50% था जिसकी राशि ₹5,445 करोड़ है. इस पुन:पूंजीकरण योजना का उद्देश्य परिचालन और अभिशासन में सुधार के साथ-साथ पर्याप्त विकास पूंजी के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्जीवित करना है ताकि वे संधारणीय और आत्मनिर्भर ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के रूप में अपने आपको पुन:स्थापित कर सकें और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और रूपान्तरण में अग्रणी भूमिका निभाएँ.

8.2.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्वास्थ्य संकेतक

31 मार्च 2022 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी श्रेणियों में कुल जमाराशि के प्रतिशत के रूप में चालू खाता और बचत खाता जमाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में थी जो 54.5% थी. इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (43.8%), निजी क्षेत्र के बैंकों (47%), लघु वित्त बैंकों (40.5%), और विदेशी बैंकों (43.8%) का स्थान था. इसके कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कम लागत की निधियों तक पहुँच की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे. तथ्य यह है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सकल ऋण का लगभग 90% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए दिया गया है, जो समावेशी राष्ट्र-निर्माण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के योगदान को दर्शाता है (चित्र 8.4).

'आरआरबी इन फोकस' श्रेणी में आने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड अन्य प्रकार की सहायता के अलावा निरंतर मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है.[2] 31 मार्च 2021 तक 23 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 'इन-फोकस आरआरबी' की श्रेणी में थे, जिसमें से आठ को नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान इस सूची से हटा दिया.[3] तथापि, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, 31 मार्च 2022 तक अपनी लेखापरीक्षित स्थिति के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान इस सूची में शामिल हो गया.

चित्र 8.4: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य-निष्पादन - 31 मार्च 2022 की स्थिति में समेकित

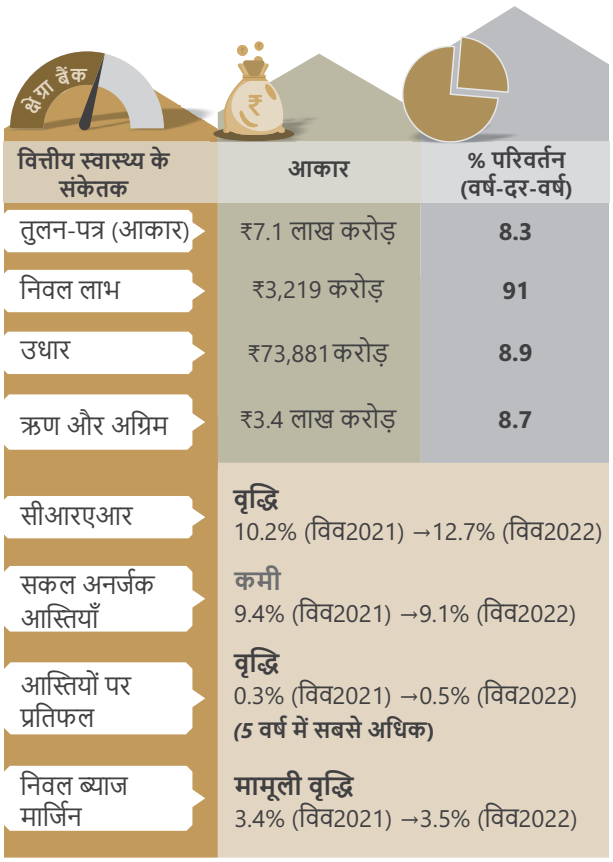

नोट: सीआरएआर = जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वि = वित्तीय वर्ष.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तृत वित्तीय विवरण परिशिष्ट की तालिकाओं अ8.11 – अ8.15 में प्रस्तुत किया गया है.

8.2.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए महत्वपूर्ण घटनाएँ

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मंजूर पुन:पूंजीकरण सहायता का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय मंत्री ने पुणे में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यशाला में 'क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में परिचालन और अभिशासन सुधार' पर सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों को संबोधित किया.

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 'स्मार्ट' (एसएमएआरटी)[4] संकेतकों के साथ निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यवहार्यता योजना तैयार करने के लिए कहा गया था.

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन (व्यवहार्यता योजनाओं के तहत निष्पादन सहित) की व्यापक निगरानी की सुविधा के लिए वित्तीय सेवाएँ विभाग ने नाबार्ड के सहयोग से आरआरबी-दर्पण नामक एक डैशबोर्ड विकसित किया है. 130 से अधिक मात्रात्मक और गुणात्मक मेट्रिक्स पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से डेटा एकत्र किया जाता है तथा चार्ट और रिपोर्ट के रूप में डैशबोर्ड पर प्रस्तुत किया जाता है.
3. कुछ सांकेतिक मानदंडों को पूरा करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी संबंधित विनियामकों और भारत सरकार का अनुमोदन मिलने के बाद पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहचान करें और उनकी सहायता करें.
4. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंडों में छूट दी है.
5. वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, भारत सरकार ने शाजी के. वी. की अध्यक्षता में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए तीन समितियों का गठन किया.[5]
    - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती, पदोन्नति और आउटसोर्सिंग तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में प्रतिनियुक्ति पर प्रायोजक बैंकों के अध्यक्षों और अधिकारियों की नियुक्ति;
    - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक की आस्तियों और देयताओं का विभाजन; और
    - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जोखिम भार में संशोधन और मजबूत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बेसल III मानदंडों के तहत लाने के लाभ और हानि का निर्धारण.

8.3 सुदृढ़ और आधुनिक ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की ओर

ग्रामीण समुदायों से विविध वित्तीय साधनों की बढ़ती माँग को देखते हुए, ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को फिनटेक (कंपनियों), सलाहकार संस्थाओं, इनपुट/ ऑफटेक संस्थाओं आदि के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है. ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के लिए यह भी आवश्यक है कि वे बैंकिंग सेवाओं से वंचित गांवों में अपनी शाखाएँ स्थापित करें, ऐसी डिजिटल व्यवस्था करें जिसमें विभिन्न अंतर्निहित क्षमताएँ हों (जैसे- शिक्षण प्रबंधन प्रणाली, निविष्टि मूल्य निर्धारण कैटलॉग और उपकरणों पर किराए पर देने की योजनाएँ, जलवायु और सरकारी अलर्ट, भंडारण उपलब्धता, मंडी मूल्य प्रौद्योगिकियाँ आदि) और, अंतिम सिरे तक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए पहुँच, उत्पाद और सेवाओं का विस्तार करें.

ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए, प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रथाएँ महत्वपूर्ण हैं. विनियामकों/ सरकारों द्वारा ग्राहक संस्थाओं की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए नीतिगत निर्देशों, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और एक्सपोज़र दौरों के माध्यम से उनमें बेहतर जोखिम प्रबंधन की दिशा में पहल की जानी चाहिए.

इसके अलावा, नाबार्ड सहकारी बैंकों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन सूचकांक तैयार कर रहा है ताकि ग्राहक संस्थाओं के अभिशासन को सुदृढ़ बनाया जा सके और बर्ड के माध्यम से उनकी क्षमता निर्माण के उपाय किए जा सकें.

नोट्स

1. ग्रामीण ऋण संस्थाओं की संरचना के लिए चित्र 7.1 देखें.
2. 'आरआरबी इन फोकस' श्रेणी में ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल किया जाता है जो इन तीन मानदंडों में से एक को पूरा करते हैं - जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात 10% से कम हो; सकल अनर्जक आस्तियाँ 10% से अधिक हों; या आस्तियों पर प्रतिफल (%) लगातार पिछले 2 वर्षों से ऋणात्मक हो.
3. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मेघालय ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, और उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक.
4. एसएमएआरटी (स्मार्ट) = स्पेसिफिक (विशिष्ट), मेज़रेबल (मापने योग्य), अचीवेबल (प्राप्त करने योग्य), रेलेवेंट (प्रासंगिक), टाइम-बाउंड (समयबद्ध).
5. अध्यक्ष, नाबार्ड.

अध्याय 8 के परिशिष्ट

तालिका अ8.1: राज्य सहकारी बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

मानदंड	*राशि ₹ करोड़ में (तुलन-पत्र का हिस्सा % में)*		*वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन % में*	
	31 मार्च 2021	*31 मार्च 2022*	*वित्तीय वर्ष 2021*	*वित्तीय वर्ष 2022*
देयताएँ				
1. पूँजी	8,577	9,263	15.0	8.0
	(2.3)	(2.2)		
2. प्रारक्षित निधि	15,848	17,971	9.7	13.4
	(4.2)	(4.3)		
3. जमाराशियाँ	2,23,057	2,40,953	6.0	8.0
	(59.1)	(57.8)		
4. उधार	1,07,207	1,23,785	25.1	15.5
	(28.4)	(29.7)		
5. अन्य देयताएँ	22,648	25,260	1.6	11.5
	(6.0)	(6.1)		
आस्तियाँ				
1. नकद और बैंक शेष	14,360	18,864	40.4	31.4
	(3.8)	(4.5)		
2. निवेश	1,29,329	1,40,966	14.6	9.0
	(34.3)	(33.8)		
3. ऋण और अग्रिम	2,11,794	2,38,919	5.9	12.8
	(56.1)	(57.3)		
4. संचित हानियाँ	1,405	1,353	14.0	-3.7
	(0.4)	(0.3)		
5. अन्य आस्तियाँ	20,451	17,130	27.5	-16.2
	(5.4)	(4.1)		
कुल देयताएँ / आस्तियाँ	**3,77,338**	**4,17,233**	**10.9**	**10.6**
	(100)	**(100)**		

नोट:

1. कोष्ठक में दिया गया डेटा कुल देयताओं/ आस्तियों का हिस्सा है.
2. वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन थोड़े से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि निवल अंकों को ₹1 करोड़ में पूर्णांकित किया गया है.
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल राशि से भिन्न हो सकता है.

तालिका अ8.2: राज्य सहकारी बैंकों की लाभप्रदता

क्र .सं	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2021*	*वित्तीय वर्ष 2022*
1.	कुल राज्य सहकारी बैंक	34	34
2.	लाभ अर्जित करने वाले बैंकों की संख्या	32	31
3.	लाभ (₹ करोड़)	1,670	2,338
4.	घाटे में रहे बैंकों की संख्या	2	3
5.	हानि (₹ करोड़)	268	50
6.	निवल लाभ/ हानि (₹ करोड़)	1,402	2,288
7.	संचित हानियों वाले राज्य सहकारी बैंकों की संख्या	7	7
8.	संचित हानियाँ (₹ करोड़)	1,405	1,353

तालिका अ8.3: राज्य सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता

क्र. सं.	*विवरण*	*मार्च 2021*	*मार्च 2022*
1.	सकल अनर्जक आस्तियाँ (₹ करोड़)	14,113	14,332
क.	अवमानक आस्तियाँ (₹ करोड़)	*7,379*	*5,387*
ख.	संदिग्ध आस्तियाँ (₹ करोड़)	*5,294*	*7,541*
ग.	हानिग्रस्त आस्तियाँ (₹ करोड़)	*1,440*	*1,404*
2.	सकल अनर्जक आस्तियाँ (%)	6.7	6.0
3.	निवल अनर्जक आस्तियाँ (₹ करोड़)	6,580	5,579
4.	निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	3.2	2.4
5.	प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	57.4	65.1

तालिका अ8.4: राज्य सहकारी बैंकों की लागत और मार्जिन (%)

क्र. सं.	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2021*	*वित्तीय वर्ष 2022*
1.	अग्रिमों पर आय	7.4	7.5
2.	निवेशों पर आय	6.6	6.6
3.	आस्तियों पर आय	6.7	6.6
4.	जमाराशियों की लागत	6.0	5.3
5.	उधार की लागत	5.1	4.7
6.	निधियों की लागत	5.0	4.5
7.	निवल ब्याज मार्जिन	1.7	2.1
8.	विविध आय	0.3	0.2
9.	प्रबंधन की लागत	1.0	1.0
10.	जोखिम लागत	0.6	0.6
11.	आस्तियों पर प्रतिफल	0.4	0.6

तालिका अ8.5: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

मापदंड	*राशि ₹ करोड़ में (तुलन-पत्र का हिस्सा % में)*		*वर्ष दर वर्ष परिवर्तन % में*	
	31 मार्च 2021	*31 मार्च 2022*	*वित्तीय वर्ष 2021*	*वित्तीय वर्ष 2022*
देयताएँ				
1. पूंजी	22,391	24,472	7.1	9.3
	(3.8)	(3.8)		
2. प्रारक्षित निधि	24,381	26,474	9.2	8.6
	(4.1)	(4.1)		
3. जमाराशियाँ	3,81,825	4,12,573	10.5	8.1
	(64.8)	(63.5)		
4. उधार	1,08,077	1,28,524	10.9	18.9
	(18.4)	(19.8)		
5. अन्य देयताएँ	52,239	57,504	5.3	10.1
	(8.9)	(8.9)		
आस्तियाँ				
1. नकद और बैंक शेष	26,973	32,107	15.2	19.0
	(4.6)	(4.9)		
2. निवेश	2,11,380	2,35,913	13.2	11.6
	(35.9)	(36.3)		
3. ऋण और अग्रिम	3,04,990	3,36,546	9.2	10.3
	(51.7)	(51.8)		
4. संचित हानियाँ	7,046	7,753	4.8	10.0
	(1.1)	(1.2)		
5. अन्य आस्तियाँ	38,525	37,226	-3.3	-3.4
	(6.4)	(5.7)		
कुल देयताएँ/ आस्तियाँ	**5,88,914**	**6,49,546**	**9.9**	**10.3**
	(100)	**(100)**		

नोट:

1. कोष्ठक में दिया गया डेटा कुल देयताओं/ आस्तियों का हिस्सा है.
2. वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन थोड़े से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि निवल अंकों को ₹1 करोड़ में पूर्णांकित किया गया है.
3. पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल राशि से भिन्न हो सकता है.

तालिका अ8.6: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लाभप्रदता

क्र. सं.	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2021*	*वित्तीय वर्ष 2022*
1.	कुल जिमस बैंक	351	351
2.	लाभ अर्जित करने वाले बैंकों की संख्या	308	302
3.	लाभ (₹ करोड़)	2,091	2,354
4.	घाटे में रहे बैंकों की संख्या	43	49
5.	हानि (₹ करोड़)	669	996
6.	निवल लाभ/ हानि (₹ करोड़)	1,422	1,358
7.	संचित हानियों वाले जिमस बैंकों की संख्या	100	97
8.	संचित हानियाँ (₹ करोड़)	7,046	7,753

तालिका अ8.7: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता

क्र. सं.	*विवरण*	*मार्च 2021*	*मार्च 2022*
1.	सकल एनपीए (₹ करोड़)	34,761	36,330
क)	अवमानक आस्तियाँ (₹ करोड़)	*13,940*	*13,418*
ख)	संदिग्ध आस्तियाँ (₹ करोड़)	*18,367*	*20,292*
ग)	हानि आस्तियाँ (₹ करोड़)	*2,455*	*2,620*
2.	सकल अनर्जक आस्तियाँ (%)	11.4	10.8
3.	निवल अनर्जक आस्तियाँ (₹ करोड़)	14,026	13,945
4.	निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	5.0	4.5
5.	प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	65.4	70.7

तालिका अ8.8: जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की लागत और मार्जिन (%)

क्र. सं.	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2021*	*वित्तीय वर्ष 2022*
1.	अग्रिमों पर आय	8.4	8.2
2.	निवेश पर लाभ	6.3	6.0
3.	आस्तियों पर आय	7.0	6.7
4.	जमा की लागत	5.5	5.0
5.	उधार की लागत	5.6	5.5
6.	निधियों की लागत	4.6	4.3
7.	शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.3	2.4
8.	विविध आय	0.3	0.3
9.	प्रबंधन लागत	1.7	1.7
10.	जोखिम लागत	0.7	0.8
11.	आस्तियों पर प्रतिफल	0.3	0.2

तालिका अ8.9: चार राज्यों में जिला मध्यवर्ती सहकारी (जिमस) बैंकों को मंजूर पुन:पूंजीकरण सहायता

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	*जिमस बैंकों की संख्या*	*सहायता (₹ करोड़)*			
		कुल	*भारत सरकार का हिस्सा*	*राज्य सरकार का हिस्सा*	*राज्य सरकार का हिस्सा (2)*
उत्तर प्रदेश	16	1,639.7	401.2	1,074.6	164.0
महाराष्ट्र	3	379.7	129.7	212.0	38.0
जम्मू और कश्मीर	3	278.0	111.2	139.0	27.8
पश्चिम बंगाल	1	78.0	31.2	39.0	7.8
कुल	**23**	**2,375.4**	**673.3**	**1,464.6**	**237.6**

नोट:

1. जिमस बैंक = जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक.
2. राज्य का हिस्सा (2) उसके द्वारा नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 27 के तहत नाबार्ड से ऋण प्राप्त करके सहकारी समितियों की शेयर पूंजी किया गया अभिदान है.

तालिका अ8.10: वित्तीय वर्ष 2022 में रासकृग्रावि बैंक और प्रासकृग्रावि बैंक का निष्पादन

मापदंड	*रासकृग्रावि बैंक*		*प्रासकृग्रावि बैंक*	
	31 मार्च 2021	*31 मार्च 2022*	*31 मार्च 2021*	*31 मार्च 2022*
1. बैंकों की संख्या	13	13	603	604
2. ऐसे बैंकों की संख्या जिनका डेटा उपलब्ध है	13	13	603	598
3. शेयर पूंजी (₹ करोड़)	949	967	4,362	4,352
4. प्रारक्षित निधि (₹ करोड़)	5,115	5,347	3,045	3,775
5. जमाराशि (₹ करोड़)	2,530	2,253	1,571	1,674
6. उधार (₹ करोड़)	13,293	13,409	17,046	16,917
7. बकाया ऋण (₹ करोड़)	20,948	21,261	16,117	16,263
8. निवेश (₹ करोड़)	2,272	2,357	2,668	2,286
कुल आस्तियाँ/ देयताएँ (₹ करोड़)	**27,274**	**28,097**	**32,734**	**33,030**
9. लाभ अर्जित करने वाले बैंकों की संख्या	10	10	307	222
10. लाभ की राशि (₹ करोड़)	179	150	165	102
11. घाटे में चल रहे बैंकों की संख्या	3	3	296	376
12. हानि की राशि (₹ करोड़)	15	72	650	620
13. निवल लाभ/ हानि (₹ करोड़)	164	78	-484	-518
14. सकल अनर्जक आस्तियाँ (₹ करोड़)	6,941	7,521	6,818	7,172
15. सकल अनर्जक आस्तियाँ (%)	33.1	35.4	42.3	44.1

नोट:

1. प्रासकृग्रावि बैंक = प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, रासकृग्रावि बैंक = राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक.
2. 31 मार्च 2022 के आँकड़े अनंतिम हैं.

तालिका अ8.11: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकित तुलन-पत्र

मापदंड	*राशि ₹ करोड़ में*		*वर्ष दर वर्ष भिन्नता % में*	
	31 मार्च 2021	*31 मार्च 2022*	*वित्तीय वर्ष 2021*	*वित्तीय वर्ष 2022*
1. शेयर पूंजी	8,393	14,880	6.9	77.3
2. आरक्षित निधियाँ	30,348	34,359	13.2	13.2
3. जमा	5,25,226	5,62,538	9.7	7.1
4. उधार	67,864	73,881	24.8	8.9
5. अन्य देनदारियां	19,754	19,742	-2.3	-0.1
कुल देयताएँ/ आस्तियाँ	**6,51,585**	**7,05,400**	**10.8**	**8.3**
6. हाथ में नकदी	2,954	3,119	3.3	5.6
7. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	18,947	22,174	13.2	17.0
8. चालू खाते में शेष राशि	5,987	8,127	-21.4	35.8
9. निवेश	2,75,658	2,95,665	9.9	7.3
10. ऋण और अग्रिम (निवल)	3,15,181	3,42,479	12.5	8.7
11. अचल आस्तियाँ	1,229	1,256	-0.5	2.2
12. अन्य आस्तियाँ	31,629	32,580	11.0	3.0
क) संचित हानि ('अन्य आस्तियाँ' के भीतर)	8,264	9,062	27.8	9.7

तालिका अ8.12: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आय-व्यय विवरण

मापदंड		*राशि ₹ करोड़ में*		*वर्ष दर वर्ष भिन्नता % में*	
		वित्तीय वर्ष 2021	*वित्तीय वर्ष 2022*	*वित्तीय वर्ष 2021*	*वित्तीय वर्ष 2022*
1.	**आय (क+ख)**	**53,858**	**56,585**	**8.9**	**5.1**
क)	ब्याज आय	46,803	48,048	7.1	2.7
ख)	अन्य आय	7,055	8,537	22.6	21.0
2.	**व्यय (क+ख+ग)**	**52,176**	**53,367**	**1.0**	**2.3**
क)	ब्याज पर व्यय	25,588	24,817	-1.5	-3.0
ख)	परिचालन व्यय	20,201	21,295	0.6	5.4
	(जिनमें से) मजदूरी बिल	15,799	16,338	7.8	3.4
ग)	प्रावधान और आकस्मिकताएँ	6,386	7,254	14.1	13.6
	(जिनमें से) आयकर	1,279	1,278	37.5	-0.1
3.	**परिचालन लाभ**	**7,872**	**10,337**	**164.9**	**31.3**
4.	**निवल लाभ**	**1,682**	**3,219**	–	–
5.	**आस्तियों पर प्रतिफल (%)**	**0.3**	**0.5**	–	–
6.	**लागत-आय अनुपात (%)**	**71**	**67**	–	–

नोट: पूर्णांकन के कारण घटकों का जोड़ कुल राशि से भिन्न हो सकता है.

तालिका अ8.13: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभप्रदता

क्र. सं.	*विवरण*	*वित्तीय वर्ष 2019*	*वित्तीय वर्ष 2020*	*वित्तीय वर्ष 2021*	*वित्तीय वर्ष 2022*
1.	लाभ (₹ करोड़)	1,527	2,165	3,550	4,116
2.	हानि (₹ करोड़)	2,179	4,373	1,867	897
3.	निवल लाभ/ हानि (₹ करोड़)	-652	-2,208	1,682	3,219
4.	लाभ अर्जित करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	30	25	30	34
5.	घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	13	18	13	9

नोट:

1. 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में आँकड़े एकत्रित किए गए हैं और प्रस्तुत किए गए हैं.

तालिका अ8.14: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अनर्जक आस्तियों की स्थिति

क्र. सं.	*मापदंड*	*31 मार्च 2020*	*31 मार्च 2021*	*31 मार्च 2022*
1.	सकल अनर्जक आस्तियाँ (₹ करोड़)	31,106	31,381	33,190
2.	बकाया ऋण (₹ करोड़)	2,98,214	3,34,171	3,62,838
3.	निवल अनर्जक आस्तियाँ (₹ करोड़)	16,331	15,094	16,024
4.	सकल अनर्जक आस्तियाँ (%)	10.4	9.4	9.1
5.	निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	5.8	4.8	4.7
6.	प्रावधान कवरेज अनुपात (%)	47	51	52

तालिक अ8.15: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लागत और मार्जिन (%)

क्र. सं.	*मापदंड*	*वित्तीय वर्ष 2020*	*वित्तीय वर्ष 2021*	*वित्तीय वर्ष 2022*
1.	निवल ब्याज मार्जिन	3.2	3.4	3.5
2.	विविध आय	1.0	1.1	1.3
3.	प्रबंधन लागत	3.6	3.3	3.2
4.	जोखिम लागत	1.0	1.0	1.1
5.	आस्तियों पर प्रतिफल	-0.4	0.3	0.5